

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

18.02.2024

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ~~08.02.2024~~ को जनपद बरेली में बरेली-पीलीभीत मार्ग, 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सिविल इन्क्लेव (एयरपोर्ट), बरेली पर प्रस्तावित 33 केवी लाईन भूमिगत बिछाये जाने में प्रभावित 0.0714 हे० संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के श्री राजीव कुमार, आधिशाली अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० बरेली एवं श्री भारत लाल, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली द्वारा किया गया। जिसमें जनपद बरेली में संरक्षित वन भूमि 0.0714 हे० प्रभावित हो रही है एवं शून्य वृक्षों का पातन निहित है।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व/हेरीटेज स्थल/रक्षा संस्थान अथवा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई दुर्लभ / संकटापन्न एवं कोई विशिष्ट पादप अथवा जीव प्रजाति नहीं पायी जाती है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(राजीव कुमार)

आधिशाली अभियन्ता
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०
बरेली।

(भारत लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
बरेली।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
बरेली रेंज (बरेली)